HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Third (Interim) Bail Application No. 13993/2026
CNR: RJHC020857512026 | URN: CRLMB / 25866U / 2026

Dalip Kumar Gaur S/o Late Bhikharam Gaur, R/o Village Mahiyawali, Tehsil Shriganganagar, District Shriganganagar at Present Residing At Flat No. 884, Vrinda Garden, Khonagorian, Jagatpura, Jaipur. Ex Chief Engineer, Jal Jeevan Mission, Jaipur. (At Present Lodge at Central Jail Jaipur).

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Prashant Sharma, Adv. Mr. Anurag Kumar Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajesh Coudhary, G.A.-cum-AAG

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

03/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह द्वितीय अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 7(ग), 9, 10, 13(1)(क) सपठित धारा 13(2), 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 409, 466, 467, 468, 471, 477ए, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त की माता 80 वर्षीय है तथा वह बीमार है। वह जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, इंस्टीटयूट फॉर मेडिकल साईंस एण्ड रिसर्च सेन्टर में भर्ती है, उसकी बीमारी की देखभाल के लिए प्रार्थी/अभियुक्त को 15 दिवस की अंतरिम जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5207/2026 आदेश दिनांक 13.08.2026 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त की माता के पाईल्स से खून आने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की माता की दयनीय स्थित हो यह प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त का व्यस्क पुत्र है, जो नौकरी कर रहा है एवं वह प्रार्थी/अभियुक्त की माता की देखभाल करने के लिए सक्षम है। अंत में उचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की 80 वर्षीय माता के पाईल्स होने और पाईल्स में खून आने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती किया जाना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की माता के ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि अत्यंत दयनीय हो, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त को उनकी देखभाल एवं सार संभाल करने की आवश्यकता हो। प्रार्थी/अभियुक्त के व्यस्क पुत्र है जो नौकरी में है, जिसके द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की माता की देखभाल किया जा सकना बताया गया है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दिलीप कुमार गौड पुत्र स्व. भीखाराम गौड** की ओर से प्रस्तुत यह तृतीय अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

117(S)/AKSHAY KUMAR PAREEK/P.A